(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और 1995-96 के दौरान ऐसी कितनी रेलगाड़ियों के चलाए जाने की संभावना है;

(ग) क्या नई दिल्ली से भोपाल के बीच एक नई राजधानी रेलगाड़ी चलाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो इस रेलगाड़ी को किस मार्ग पर चलाया जाएगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी): (क) जी हां।

(ख) से (घ) 1994-95 के दौरान 2421/2422 नई दिल्ली-भुवनेश्वर साप्ताहिक राजधानी एक्सप्रेस, 2423/2424 नई दिल्ली-गुवाहाटी साप्ताहिक राजधानी एक्सप्रेस और हज़रत निज़ामुद्दीन/नई दिल्ली और जम्मू तवी के बीच एक साप्ताहिक राजधानी एक्सप्रेस (सं० 2425/2426) भी चलाई गई थी।

बहरहाल, नई दिल्ली भोपाल मार्ग सहित किसी भी मार्ग पर नई राजधानी एक्सप्रेस गाड़ी चलाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

चिकित्सा भंडारों द्वारा केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के नियमों की अवहेलना

407. श्री नागमणि:
श्री ईश दत्त यादवः

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत निर्धारित नियमों की अवहेलना किए जाने पर गुण व अवगुण के आधार पर चिकित्सा भंडारों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है;

(ख) यदि हां, तो गुण तथा अवगुण के निर्धारित मानदंड क्या हैं; और

(ग) गंभीर मामलों में क्या-क्या कार्रवाई की गई है एवं पिछले दो वर्षों के दौरान किन-किन चिकित्सा भंडारों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए० आर० अंतुले): (क) जी, हां।

(ख) शर्तों की एक प्रतिलिपि उपाबंध "क" पर संलग्न है। [देखिए परिशिष्ट 175, अनुपत्र सं० 13]

(ग) जिन स्थानीय कैमिस्टों ने टेंडरों की शर्तों का उल्लंघन किया है उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। पिछले दो सालों के दौरान जिन स्थानीय कैमिस्टों के खिलाफ कार्रवाई की गई है उनके नाम नीचे बताए गए हैः—

1. मैसर्स माडर्न बाजार
2. मैसर्स वेरायटी एजेंसी
3. मैसर्स एम० डी० कैमिस्ट्स
4. मैसर्स राजधानी मैडिकोज

Constitutional amendment to bar religious appeals for securing votes

408. SHRIMATI VEENA VERMA:
SHRI SUSHILKUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether in view of the recent judgement of Supreme Court validating religious appeals, other than those which cause hatred against other religions for seeking votes in elections, Government propose to bring forth a Constitutional Amendment to bar religious appeals and exploitation of religious sentiments to secure votes; and

(b) if so, by when and if not what is Government's decision in the light of the said judgement?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI H. R. BHARDWAJ): (a) and (b) The Representation of the People (Second Amendment) Bill, 1994 contains a provision for cancelling the registration of a political party if it bears a religious name or if it promotes or attempts to promote on ground of religion, disharmony or feeling of enmity, hatred or illwill between different religious groups. There is, however, no proposal, at present, for any Constitutional amendment in this regard.